04.03.2025 अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने वाकत में पारित आदेश की पालना में पत्रावली पेश मैं ली गई। अपीलांट संख्या 01 व अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता ने ने जाहिर किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए अपील आगे चलाना नहीं चाहते है। लिहाजा अपीलांट के निवेदन को स्वीकार किया जाकर अपील बोर्ड अदालत की आज्ञा से वापिस विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली मैंने अलमारी नंबर 12 में रख होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज इजलास सुनाया गया।

5/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर